राजस्थान विश्वविद्यालय
जयपुर

क्रमांकः लेखा एवं वित्त/2024/2982　　　　　　　　　　　　　　दिनांक 20/02/2024

परिपत्र

सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ लेख है कि वित्तीय वर्ष 2023–24 समाप्ति की ओर अग्रसर है। कर्मचारियों/अधिकारियों की वेतन एवं अन्य आय की सूचना माह फरवरी, 2024 तक की आयकर विवरण में शामिल की जायेगी। अतः सभी सम्बन्धित इकाई प्रभारी से अनुरोध है कि उनके अधीनस्थ कार्यरत कर्मियों के ओवर टाईम आदि के कोई क्लेम बकाया हो तो दिनांक 22/02/2024 तक लेखा एवं वित्त अनुभाग में आवश्यक रूप से प्रस्तुत कर देवें ताकि आयकर विवरण में तदनुसार प्रविष्टि की जा सके। दिनांक 22/02/2024 के पश्चात् ऐसे कोई क्लेम स्वीकार नहीं किये जायेंगे। इसके पश्चात् के क्लेम वित्तीय वर्ष 2024–25 में पारित किये जायेंगे तथा उक्त वर्ष की ऊपरी सीमा में शामिल होंगे। ओवर टाईम के क्लेम विश्वविद्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक संस्था–2/2023/9821–9921 दिनांक 08/12/2023 के तहत अनुमत होगें।

20/2/24

उप–कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)

क्रमांकः लेखा एवं वित्त/2024/　　　　　　　　　　　　　　दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय शैक्षणिक/अशैक्षणिक विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
2. समस्त प्राचार्य, विश्वविद्यालय संघटक महाविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
3. समस्त विश्वविद्यालय केन्द/पी.जी. स्कूल, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, कुलपति/वित्त नियंत्रक एवं वित्तीय सलाहकार, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
5. वरिष्ठ निजी सहायक, कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर।
6. सहायक कुलसचिव प्रथम/द्वितीय, लेखा एवं वित्त, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर।

सहायक–कुलसचिव
(लेखा एवं वित्त)